<u>बिहार सरकार</u>

<u>परिवहन विभाग</u>

<u>मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)</u>

<u>Google Sheet के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन (EV) सब्सिडी हेतु प्राप्त आवेदन के सत्यापन एवं भुगतान के लिए</u>

1. उद्देश्य

मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना अंतर्गत बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित इलेक्ट्रिक वाहनों (Pure Electric vehicle) के विरुद्ध प्रोत्साहन राशि दिए जाने हेतु NIC के द्वारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है, जो प्रक्रियाधीन है | योजना को ससमय प्रभावी करने हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत Google Form के द्वारा आवेदन प्राप्त की जा रही है तथा प्राप्त आवेदनों के सत्यापन, अनुमोदन एवं भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध एवं त्रुटिरहित बनाने एवं क्रियाशील करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की जा रही है, जो निम्वत है : -

Google Sheet Link: -

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m3zmFKZ4DDh_41LytNHnxGkAeRG9JaHQK3dY825MVw8/edit?gid=301560639#gid=301560639

2. कार्यक्षेत्र

यह SOP निम्नलिखित अधिकारियों एवं कर्मियों पर लागू होगा —

- जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO)
- मोटरयान निरीक्षक (MVI)
- जिला परिवहन कार्यालय के संबंधित कर्मी
- राज्य स्तरीय नोडल टीम

3. दैनिक समीक्षा

1. प्रत्येक जिला प्रतिदिन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई Google Sheet का अवलोकन करेंगे।
2. संबंधित जिला केवल अपनी निर्धारित वर्कशीट में कार्य करेंगे।

3. नए प्राप्त आवेदन प्रतिदिन Google Sheet में अद्यतन किए जाएंगे।
4. सभी अधिकारी प्रतिदिन लंबित एवं नवीन आवेदनों की समीक्षा करना सुनिश्चित करेंगे।

4. आवेदन सत्यापन प्रक्रिया (MVI द्वारा)

मोटरयान निरीक्षक (MVI) निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएंगे—

- अपने जिला के Google वर्कशीट में उपलब्ध आवेदनों का ही परीक्षण करेंगे।
- आवश्यक दस्तावेजों एवं वाहन विवरण का सत्यापन करेंगे।
- सत्यापन उपरांत आवेदन की स्थिति (Status) अद्यतन करेंगे।

स्थिति निम्न प्रकार होगी—

- Approved (स्वीकृत)
- Rejected (अस्वीकृत) – अस्वीकृति का स्पष्ट कारण अंकित करना अनिवार्य होगा। (रिमार्क कॉलम में)

5. सत्यापन के अनिवार्य बिंदु

सत्यापन के दौरान मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना अंतर्गत बिहार राज्य को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की प्रक्रिया करना सुनिश्चित करेंगे |

>> MVI निम्नलिखित सुनिश्चित करेंगे— जैसे

- वाहन का क्रय एवं पंजीकरण विभाग द्वारा निर्धारित दिनांक 15-05-2026 के उपरान्त ही हुआ हो।
- यह योजना 31 मार्च 2027 तक के लिए प्रभावी है
- वाहन Pure Electric Vehicle (PEV) हो।
- Hybrid Vehicle सब्सिडी हेतु पात्र नहीं होगा।
- वाहन का पंजीकरण एवं अन्य दस्तावेज सही एवं वैध हों ।
- वाहन स्वामी को पूर्व में सब्सिडी का लाभ प्राप्त न हुआ हो। (विशेष रूप से बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023 के तहत प्राप्त न हुआ हो)
- आवेदक द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने पर ही संबंधित श्रेणी के लिए प्रोत्साहन राशि के पात्र होंगे ।

- उक्त योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन की राशि "पहले आओ, पहले पाओ" की नीति के आधार पर देय होगा।
- प्रथम आवेदनकर्त्ता को भुगतान के उपरान्त ही दूसरे, तीसरे अन्य क्रम के आवेदनकर्त्ता को प्रोत्साहन राशि दिया जायेगा। यदि क्रम को तोड़ कर किसी भी आवेदक के प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है, तो इसके लिए पूर्ववर्ती क्रम के आवेदक के संबंध में कारण का उल्लेख करते हुए अग्रेतर क्रमवार आगे बढ़ेंगे। यदि बिना वैध कारण के ऐसा किया गया इसके लिए संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे एवं उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की जायेगी।
- आवेदन में दी गई समस्त जानकारी सही एवं पूर्ण हो इत्यादि।

>>DTO द्वारा अनुमोदन

- MVI द्वारा सत्यापित प्रत्येक आवेदन का DTO द्वारा पुनः परीक्षण किया जाएगा।
- आवश्यक होने पर दस्तावेजों का पुनः सत्यापन किया जाएगा।
- DTO की संतुष्टि के उपरांत ही आवेदन स्वीकृत माना जाएगा।
- DTO की स्वीकृति के बाद ही भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।
- सब्सिडी की राशि जिला परिवहन कार्यालय द्वारा भुगतान की जाएगी

6. भुगतान करने के पश्चात भुगतान विवरण दर्ज करना होगा

सब्सिडी भुगतान के तुरंत बाद अपने जिला के Google शीट में में निम्नलिखित विवरण अनिवार्य रूप से दर्ज किए जाएंगे —

- भुगतान की तिथि -
- UTR संख्या -
- भुगतान की राशि –

7. समय-सीमा

कार्य	समय-सीमा
नए आवेदन की समीक्षा	प्रतिदिन
MVI द्वारा सत्यापन	5 कार्य दिवस के भीतर
DTO द्वारा अनुमोदन	3 कार्य दिवस के भीतर
जिला कार्यालय द्वारा भुगतान	3 कार्य दिवस के भीतर

भुगतान विवरण अद्यतन	भुगतान के उसी दिन

8. उत्तरदायित्व

किसी भी प्रकार की लापरवाही, गलत सत्यापन अथवा गलत भुगतान के लिए संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

9. प्रभावी तिथि

यह SOP तत्काल प्रभाव से लागू होगी तथा परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा संशोधित किए जाने तक प्रभावी रहेगी। यह प्रक्रिया NIC द्वारा बनाये जा रहे सॉफ्टवेयर बन जाने तक लागू रहेगी।

सचिव
13/07/2026

ज्ञापांक–06/योजना–14–14/2025 (खंड–1) 5789 पटना, दिनांक– 14-07.26

प्रतिलिपि–सभी जिला पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

2. वरीय तकनीकी निदेशक, NIC, बिहार पटना/आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/07/2026
सरकार के संयुक्त सचिव।

Flowchart

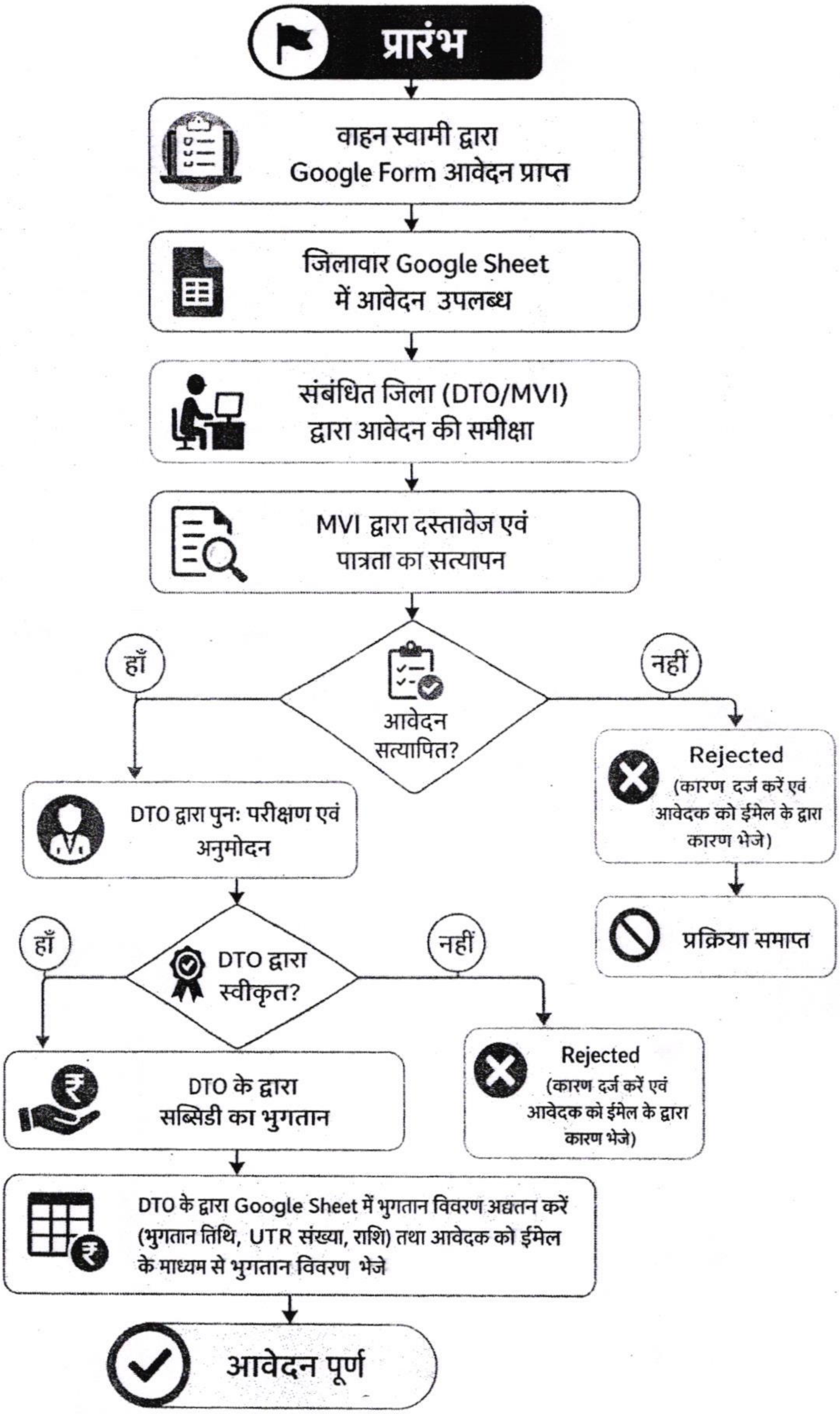

प्रारंभ
वाहन स्वामी द्वारा Google Form आवेदन प्राप्त
जिलावार Google Sheet में आवेदन उपलब्ध
संबंधित जिला (DTO/MVI) द्वारा आवेदन की समीक्षा
MVI द्वारा दस्तावेज एवं पात्रता का सत्यापन
हाँ
आवेदन सत्यापित?
नहीं
Rejected (कारण दर्ज करें एवं आवेदक को ईमेल के द्वारा कारण भेजे)
प्रक्रिया समाप्त
DTO द्वारा पुनः परीक्षण एवं अनुमोदन
हाँ
DTO द्वारा स्वीकृत?
नहीं
DTO के द्वारा सब्सिडी का भुगतान
Rejected (कारण दर्ज करें एवं आवेदक को ईमेल के द्वारा कारण भेजे)
DTO के द्वारा Google Sheet में भुगतान विवरण अद्यतन करें (भुगतान तिथि, UTR संख्या, राशि) तथा आवेदक को ईमेल के माध्यम से भुगतान विवरण भेजे
आवेदन पूर्ण